

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

अर्चना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
27/10/19	इजराय	शुगौर	द.क.37
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
नारायण सिंह		बनाम	राम-राज

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

20/10/19

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा इजराय इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिश्ता का आवलोकन किया गया। प्रमाण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तथा तहसील दार इजराय के इस आक्षेप के साथ तहरीर जारी की जावे कि यदि उक्त प्रमाण में किसी अन्य अपराध के लिए कोई स्पष्टान आदेश न हो तो मुताबिक डिस्ट्री पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में दिनांक 01/10/19 से पूर्व मिलाने। प्रमाण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 01/10/19 को पेश है।

01/10/19

न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

30/10/19

न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 31/10/19 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

3/11/19

न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13/11/19 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)



24

पत्रावली प्रेषण द्वारा नवीन डिप्लोमा उप-1
 तहसील के माध्यम रिपोर्ट जमा की जा-छि
 के जफ्त माध्यम रिपोर्ट के नवीन डिप्लोमा
 प्रहरी के जारी करण 5 वीं व 6 वीं व 7 वीं
 प्रहरी का वेपान किया जा चुका है। वीं व 8 वीं
 पर जारी करण जफ्त को पावत किया जा चुका
 है प्रकरण के खिती उकाए की कार्य कार्यावली
 मेष नहीं है प्रकरण इसी स्तर पर होप किया
 जाय है पत्रावली फिलहाल अगल अकल नर रपली
 तहसील के माध्यम उपरल है।